

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

निवासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल-1 (आर.ए.एस.)

कदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2018/33

1. सुजा देवी पत्नी श्री रामेश्वर, आयु 47 वर्ष, जाति मीणा निवासी ग्राम पटवार हल्का खोह नागोरियान, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास, तह. सांगानेर, जिला जयपुर।

..... प्रार्थीया

बनाम

1. छुट्टन लाल माली पुत्र श्री रघुनाथ, जाति माली, निवासी बाबा नाहरसिंह कॉलोनी, गोनेर रोड, जयपुर।
2. प्रहलाद नारायण पुत्र श्री किस्तूर चन्द, जाति महाजन उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम मलारना चौड़, जिला सवाई माधोपुर।
3. राजेश अग्रवाल पुत्र श्री प्रहलाद नारायण अग्रवाल, जाति महाजन, उम्र 36वर्ष, निवासी मलारना चौड़, जिला सवाई माधोपुर।
4. श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री प्रहलाद नारायण अग्रवाल, जाति महाजन, उम्र 32 साल, निवासी मलारना चौड़, जिला सवाई माधोपुर।

..... अप्रार्थीगण

अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा -212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

- निर्णय -

दिनांक: 12/04/2021



प्रार्थीया की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि:-

1. प्रार्थीया द्वारा एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा व आज्ञात्मक व्यादेश माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सुदृढ आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थीया को सफलता की पूरी आशा है।
2. यह कि प्रार्थीया की कृषि भूमि ग्राम खोह नागोरियान, पटवार हल्का खोह नागोरियान, भू अभिलेख निरीक्षक लूनियावास, तह सांगानेर जिला जयपुर पर स्थित है, जिसके खाता सं. नया 545 व पुराना 494, नया 546 व पुराना 594 सम्वत् 2071 से 2074 में खसरा नं. 174 रकबा 0.36 हैक्टे0 व खसरा नं0 1742 रकबा 0.78 हैक्टे0 इस प्रकार कुल खसरा 2 का कुल रकबा 1.14 हैक्टेयर है जिस पर प्रार्थीया 1/6 की खातेदार काश्तकार है।

3. यह कि प्रार्थीया अपने उक्त खातेदारी के खसरा नंबर पर काबिज काश्त है तथा मौके पर अपने मकान बनाकर निवास कर रही है। तथा अपना व अपने परिवार का निवास पर पोषण कर रही है। वर्तमान में अप्रार्थीगण जो गुण्डे बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं तथा

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

भूमिफिया हैं जो जयपुर में आकर विभिन्न खाली भूमियों पर जिनके मालिक कमजोर व गरीब तथा किसान तबके से हो उनको चिन्हित कर उनके फर्जी पट्टे आदि बनाकर कब्जा करके उनका विक्रय करते हैं और उनसे मोटा लाभ कमाकर पुलिस व प्रशासन को कुछ भी नहीं समझते तथा वादग्रस्त खसरा नंबर 172 व 174 पर प्रार्थीया ने बाउण्ड्रीवाल लगाकर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा कर रखा है।

4. यह कि प्रार्थीया उक्त खसरा नंबर पर अपने परिवार सहित निवास कर रही है तथा निर्विवाद रूप से काबिज काश्त है। जिस पर अप्रार्थीगण दिनांक 23.10.2018 को आये तथा आकर प्रार्थीया व उसके परिवार को धमकाने लगे और कहने लगे कि उक्त भूमि के हमने पट्टे बना लिये हैं। तुम भूमि को खाली करके चले जाओ वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे और प्रार्थीया के बच्चों का अपहरण आदि की धमकियां देने लग गये तथा जबरदस्ती प्रार्थीया की खसरा नंबर की भूमि की दीवारों पर अपने नाम लिखने लग गये तथा इस पर आपत्ति करने पर अप्रार्थीगण प्रार्थीया व उसके परिवार को मारपीट व गाली गलौच करने लग गये और धमकाने लगे कि जबरदस्ती हम तुमहारी भूमि पर कब्जा कर उस पर अपना निर्माण कर लेंगे तथा तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस प्रकार की बातें करके प्रार्थीया की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करने लगे। इस पर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गये तथा मौके पर विरोध

देख अप्रार्थीगण वहां से भाग गये।

प्रह कि अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती प्रार्थीया के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं तथा वे फर्जी दस्तावेज बनाने में माहिर है जिनकी आड़ में प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा कर उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जबकि प्रार्थीया ने भूमि का विक्रय ना तो प्रतिवादी को किया है और ना ही किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को किया है और ना ही विक्रय के कोई अधिकार दिये हैं। इसके बावजूद प्रतिवादी अपनी संख्या बल के आधार पर प्रार्थीया जो गरीब व किसान तबके से है जोर जबरदस्ती उसकी भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण करना चाहते हैं ताकि प्रार्थीया अपने परिवार सहित वहां से विस्थापित हो जबकि अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रार्थीया की कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा या उपयोग-उपभोग में बाधा पहुंचाये। इसलिये माननीय न्यायालय से सविनय निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

यह कि अप्रार्थीगण दिनांक 25.10.2018 को सुबह 11 बजे अपने 15-20 गुण्डे बदमाश साथियों को लेकर प्रार्थीया के खसरा नंबर वादग्रस्त भूमि पर आये और आकर प्रार्थीया की बाउण्ड्रीवाल को तोड़ने लग गये और धमकी देने लगे कि हम तुम्हें मौके से हटाकर भूमि पर कब्जा कर लेंगे तथा तुम यहां से खाली करके चले जाओ। प्रार्थीया भूमि की एकमात्र मालिक स्वामी काबिज है तथा उसने मौके पर बाउण्ड्रीवाल लगाकर प्रार्थीया निर्माण कर रखा है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण जो भूमिफिया है, प्रार्थीया को

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

हैरान परेशान करने की नियत से इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं ताकि प्रार्थीया परेशान होकर वादग्रस्त भूमि को छोड़कर अन्यत्र चली जायें जिससे अप्रार्थीगण का बिज होकर बेजा लाभ प्राप्त कर सकें। अप्रार्थीगण आकर प्रार्थीया की पुत्री व पुत्रवधू से छेड़छाड़ की व जातिसूचक शब्दों से संबोधित कर अपमानित किया तथा अनुसूचित जनजाति की भूमि पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करने की गैरकानूनी कोशिश की। इसमें आप पास के लोगों के आने से तथा प्रार्थीया द्वारा पुलिस थाने में फोन करने से पुलिस आ गई जो मौके से सभी प्रतिप्रार्थियों को लेकर थाने पर चली गई। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थीया को धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे तथा तुम्हारी भूमि पर कब्जा करके रहेंगे तथा तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी।

7. यह कि अप्रार्थीगण लगातार अपने बाहुबल व गुण्डे बदमाश साथियों के सहयोग से प्रार्थीया व उसके परिवार को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा वे लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं। परन्तु आस-पास के व्यक्तियों तथा पुलिस के कारण अभी तक तो अप्रार्थीगण अपने उक्त कुच्छित उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हुए हैं, परन्तु प्रार्थीया और अधिक समय तक अप्रार्थीगण को रोक पाने में असमर्थ है। इसलिये माननीय न्यायालय से सविनय निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थीया के वादग्रस्त खसरा नंबर पर ना तो स्वयं कब्जा करें व ना ही उसके उपयोग उपभोग कब्जे में बाधा पहुंचाये।

8. यह कि अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती के आधार पर प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि माननीय न्यायालय अप्रार्थीगण को इस आशयक की आज्ञात्मक निषेधाज्ञा से भी पाबंद फरमायें कि वे इस दौरान किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रार्थीया की भूमि पर करते हैं तो उसे अपने खर्चे पर हटावें। प्रार्थीया के भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिये उसे अधिकार है कि राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय उसके अधिकारों को संरक्षित करें तथा अप्रार्थीगण को पाबंद फरमायें कि वे प्रार्थीया की भूमि पर ना तो आवें और ना ही उसके उपयोग-उपभोग में बाधा पहुंचायें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामील हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र के मद नंबर 1 गलत व विधि विरुद्ध होने के कारण स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 में वर्णित तथ्य वास्तविकता से परे होने के कारण स्वीकार नहीं है। सम्पूर्ण भूमि 1.14 हैक्टेयर आवासीय रूप में काम आ रही है। मकानात बने हुए हैं। प्रार्थीया वादिया ने भी अपने कथनों में मकानात बना लिये जाने का कथन किया है। जो खातेदार काश्तकार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भूमि वादग्रस्त में से 69 एयर भूमि जे.डी.ऐ में समर्पित होकर आवासीय रूप में स्वीकृत हो चुकी है। आवासीय पट्टे जारी हो चुके हैं। सन् 2002 से भूमि आवासीय

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

है। कृषि भूमि 1 इंच भी नहीं है। फोरी कागजी इन्द्राज के आधार पर वास्तविकता से परे पेश की गई है। जो समेरली खारिज किये जाने योग्य है। मद नं0 3 विधि विरुद्ध तथा वास्तविकता से परे होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया वादिया का प्रश्नागत भूमि पर कब्जाकाशत नहीं है। ना ही प्रार्थीया आवासीय मकानात में बनाकर रह रही है। और यदि बकौल प्रार्थीया आवासीय मकानात बनाकर रह रहीं है तो इसके लिये चाराजोरी सिविल कोर्ट में करनी चाहिये। इस लिहाज से दरखास्त खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 में वर्णित तथ्य गलत व मिथ्या होने से वास्तविकता होने से अस्वीकार है। दिनांक 23.10.2018 को कोई वाका उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थीया के बुर्जुगान रिकॉर्डेड काबिज खातेदार द्वारा बेचान समर्पण इत्यादि की कार्यवाही कर जे.डी.ए में सन 2002 से भूमि आवासीय रूप में स्वीकृत कराकर आवासीय पट्टे ले लिये है तो 23.10.2018 का वाका कैसे उत्पन्न हो सकता है सारे वर्णित तथ्ये व आरोप मनगढत लगाये है जिससे वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है जब बकौल प्रार्थीया अपना 1/6 ही बता रही है तो सम्पूर्ण भूमि के लिये जो आवासीय रूप में काम आ रही है क्यों उसके लिये बयान तथ्य दर्ज करवाकर मौजूदा प्रार्थना पत्र की जा रही है दरखास्त इस लिहाज से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मद न0-5 में वर्णित तथ्य गलत मनगढत तथा सत्यता से विपरीत होने से स्वीकार नहीं है। वादीया एक तरफ तो कहती है उसके 1/6 हिस्से पर मकानात बनाकर निवास कर रही है और दूसरी ओर कृषि भूमि बताकर दादरसी प्राप्त करना चाहती है। आवासीय भूमि के मुतालिक प्रार्थीया को कोई किसी प्रकार से रिलिफ चाहिए तो उसे सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए माननीय न्यायालय द्वारा चाही गई दादरसी प्रदान नहीं कर सकती दरखास्त संपूर्ण व आधारहीन तथा विधि विरुद्ध प्रक्रिया के होने से निरस्त नहीं है विधिवत काबिज स्वामी, मालिक स्वामित्व वाले व्यक्ति उत्तरदाता के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती प्रार्थीया के पक्ष में किसी भी दृष्टि से प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट के तहत प्राईमा केस व सुविधा का संतुलन होना नहीं माना जा सकता। दरखास्त सहित खारिज योग्य है।

भूमि सम्पूर्ण आवासीय होकर कॉलोनी में बस चुकी है जैसा कि प्रार्थीया ने भी कहे खसरा मकानात बना रखे है सन 2002 से जेडीए में समर्पित होकर आवासीय रूप में परिवर्तित हो चुकी है उत्तरदाता पट्टाधारी जेडीए के खरीदशुदा बोनाफाईड मालिक है जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती माननीय न्यायालय ने आनन फानन में सम्पूर्ण खसरा न 172 व 174 भूमि के लिये समर्पण जारी कर दिया है जबकि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में व दावे में अपना हिस्सा 1/6 हिस्सा बता रही है शेष भूमि जेडीए में समर्पित होकर के आवासीय पट्टे जारी

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

हो चुके हैं ऐसी परिस्थिति में वेग अस्पष्ट व आधारहीन प्रार्थना पत्र पर जारी स्थगन आदेश को हटाकर दरखास्त खारिज नहीं की गई तो उत्तरदाता बोनाफाईड परचैजर को जेडीए की पट्टेदारी की ऐसी क्षति व जेरवारी होगी जो किसी भी हालत में पूरी नहीं हो पायेगी दरखास्त समेरली खारिज योग्य हैं। 212 आर टी एक्ट के तहत आवश्यक तीनों इंग्रीडीयस कतई कवरअप नहीं होने से दरखास्त खारिज किये जाने योग्य है। भूमि नियमानुसार सन 2002 से आवासीय रूप में नियमानुसार परिवर्तित हो गई है। आवासीय परिवर्तित होने से पूर्व दरखास्त देहन्दा ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद भी कोई आपत्ति उज्र नहीं की है जिससे स्पष्ट है मौजूदा कार्यवाही इतने अरसे बाद मात्र क्रेतागण को हैरान व परेशान करने की बदनियति से की है जो खारिज किये जाने योग्य है।


वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में मूलवाद के निस्तारण तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्कर्म करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी 2 लगायत 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात को उनके खातेदारों द्वारा शान्ति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान कर दी तथा बेचान के बाद उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर शान्ती नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा लक्ष्मी नगर-ए का विस्तार कर दिया उसके बाद उक्त लक्ष्मी नगर-ए जे.डी.ऐ. से अप्रुव्ड हो गई तथा उक्त कॉलोनी आवासीय कॉलोनी हो चुकी है।



बहस पर बगौर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मय जवाब व दस्तावेजात व मूलवाद का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। प्रार्थीया ने वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 172 व 174 में 1/6 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अंकित कर स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की ओर से दस्तावेजात सुची के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आवेदन पत्र नियमन, नकल बिजली बिल, वादग्रस्त आराजीयात में जारी जे.डी.ऐ. का पट्टा, नकल विक्रय पत्र गीता देवी, नकल इकरारनामा, व उपायुक्त (जोन-10) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 07/डी-800 दिनांक 11.07.2007 तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी में अधिगृहित भूमि का अमलदरामद करने बाबत पत्र जिसमें वादग्रस्त आराजीयात के खसरा नंबर 172 व 174 सम्मिलित हैं। उपरोक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात 90बी में कन्वर्ट हो चुकी है। एवम् न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से पाया गया कि उक्त पत्र वादग्रस्त भूमि आवासीय रूप में बसी हुई है व जेडीए द्वारा पट्टे जारी किये

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

है। वादग्रस्त भूमि के आवासीय प्रयोजन में परिवर्तित होने से वादग्रस्त भूमि अब कृषि योग्य नहीं है। प्रार्थीया द्वारा केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त वाद अस्थाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि वास्तविकता में उक्त वादग्रस्त आबादी 90बी में कन्वर्ट होकर आबादी भूमि में विकसित हो चुकी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपना प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं कर पाये है चूंकि माँके पर कब्जा अप्रार्थी नंबर 2 ता 4 का प्रमाणित है ऐसे में सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी अप्रार्थी नं. 2 ता 4 के पक्ष में है तथा प्रार्थीया के खिलाफ है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


अध्यक्ष कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय